तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

सुवालाल बनाम रामस्वरूप वगै
दावा मु.नं. – 97/2022

वकुलाय बहस सुनी गई। वास्ते निर्णय आदेश प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 CPC पत्रावली दिनांक-06-04-23 को पेश हों।

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

06.04.2023

पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में समय अभाव के कारण आज निर्णय नहीं सुनाया जा सका। वास्ते निर्णय पत्रावली दिनांक 10.04.2023 को पेश हो।

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

10.04.2023

पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। वकील प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी का स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी को स्वीकार किया जाता है तथा मूल वाद पत्र संख्या 97/2022 उनवानी सुवालाल बनाम रामस्वरूप वगै0 दावा व मुकदमा संख्या 63/2022 प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति मूल पत्रावली में शामिल की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.19 11:59:06 IST
Reason: SelfAttested

10/04/23
(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक), श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या :– 97 / 2022 जीसीएमएस नं0 280 / 2022 निर्णय दिनांक 10.04.2023

उनवान प्रकरण

सुवालाल पुत्र रामेश्वर आयु 65 वर्ष जाति कुमावत निवासी ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

–– वादी / अप्रार्थी

बनाम्

1. रामस्वरूप पुत्र भैरूराम जाति कुमावत निवासी ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 वगैरह

––प्रतिवादीगण संख्या 1 से 12 / प्रार्थी

उपस्थितः–

श्री बजरंग लाल यादव, एड0 वादी / प्रार्थी अभिभाषक।

श्री रामावतार सैनी द्वितीय, एड0 आवेदनकर्त्ता प्रा.पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेशकर्त्ता अभिभाषक।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी

–: निर्णय :–

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.19 11:59:06 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण / प्रतिवादी संख्या 11 व 12 श्री जगदीश प्रसाद पुत्र मालीराम माली निवासी खण्डेला जिला सीकर व

10/04/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

हंसराज सैनी पुत्र मूलचन्द सैनी बस स्टेण्ड खेजरोली तहसील चौमूं जिला जयपुर की ओर से श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 के द्वारा जरिये अधिवक्ता श्री रामावतार सैनी द्वितीय दिनांक 29/11/2022 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रस्तुत कर दौराने बहस अवगत कराया है कि ख0न0 4230/1792, 1793, 1794, 4232/1796, 2317, 2318/1, 2318/3 कुल किता 7 कुल रकबा 2.9924 हैक्टर तन् ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर का विधिक बंटवारा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 9 ने आपसी सहमति से तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर बंटवारानामा पेश किया। जिस पर गिरदावर हल्का व पटवारी हल्का से मौके की रिपोर्ट प्राप्त कर उक्त भूमि का विधिक बंटवारा कर दिया गया तथा पक्षकारान अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त हो गये। प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के हिस्से आई भूमि ख0न0 2318/3, 4310/4230, 4316/2318 कुल किता 3 कुल रकबा में 1.004 है0 आई जिसमें ख0न0 4310/4230 रकबा 0.7086 है0 संपूर्ण एवं ख0न0 4316/2318 रकबा 0.2681 है0 में हिस्सा 2081/2681 भाग (अर्थात कुल 0.9167है0) भूमि का प्रतिवादी संख्या 10 ता 11 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख से दिनांक 22.7.22 को बेचान कर कब्जा संभला दिया था। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 व 9 के हिस्से आई भूमियो का राजस्व रिकार्ड भी अलग अलग दर्ज हो गया। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने आपस में साजिशी तौर पर विकित भूमि से प्रतिवादी संख्या 10 ता 11 से अधिक राशि हडपने के उद्देश्य से विधिक बंटवारा के पूर्व की जमाबंदी प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय को मुगालता देकर स्थगन प्राप्त किया है। विवादित भूमि का राजस्व रिकार्ड अलग–अलग दर्ज होने से भूमि ख0न0 4310/4230 एवं ख0न0 4316/2318 से वादी का कोई संबंध किसी किस्म का नहीं है तथा वादी को कोई वादकारण उत्पन्न नहीं होता हैं। इसलिए वादमान कानून खारिज होने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वादपत्र अस्वीकार फरमाया जाकर खारिज फरमाये जाने का निवेदन अपने प्रार्थना पत्र में किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.19 11:59:06 IST
Reason: SelfAttested

10/04/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

वही दौराने बहस वकील अप्रार्थी / वादी ने अपने द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अवगत कराया कि तन ग्राम दिवराला पटवार हल्का दिवराला भू–अभिलेख निरीक्षक दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित कृषि भूमि ख0न0 4230 / 1792, 1793, 1794, 4232 / 1796, 2317, 2318 / 1, 2318 / 3 कुल किता 7 कुल रकबा 2.9924 हैक्टर के पक्षकारान वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 9 एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 जमाबंदी में दर्ज हिस्सानुसार कमली देवी पत्नी रामस्वरूप कुमावत हिस्सा 1 / 9 एवं गीता देवी पत्नी सीताराम कुमावत हिस्सा 1 / 9 एवं मोहनलाल पुत्र रामेश्वर कुमावत हिस्सा 1 / 6 एवं रामस्वरूप पुत्र भैंरूराम कुमावत हिस्सा 1 / 3 एव संजू दंवी पत्नी राजेन्द्र कुमार कुमावत हिस्सा 1 / 3 एवं सुवालाल पुत्र रामेश्वर कुमावत हिस्सा 1 / 6 के खातेदार काश्तकार चले आ रहे है एवं इसी हिस्सानुसार मौके पर पूर्णत काबिज काश्त चले आ रहे है तथा वादी व तरतीबी प्रतिवादी 9 ग्रामीण पृष्ठ भूमि के अनपढ व भोले भाले व्यक्ति हैं। केवल हस्ताक्षर करना जानते है तथा प्रतिवादी संख्या 1 काफी चालाक व बदमाश किस्म का व्यक्ति है। जिसने वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या–9 को यह कहकर कि कृषि भूमियों का मौके के कब्जा काश्त एवं दर्ज हिस्सा खातेदारी अनुसार बंटवारा करवा रहे है। इस विश्वास में लेकर प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 9 के खाली छपे हुये फार्मो पर दिनांक 27.6.2022 को हस्ताक्षर करवा लिये एवं पटवारी हल्का से मिलीभगत करके मौके के कब्जा काश्त के विपरीत एवं हक हिस्सा खातेदारी से अधिक रकबा भूमि की खातेदारी मनमर्जी का बंटवारा करवाकर अपने नाम कृषि भूमि खसरा नम्बर 4313 / 4230, 4319 / 2318, 4322 / 4232 कुल किता 3 कुल रकबा 0.9768 हैक्टर दर्ज करवा ली एवं प्रतिवादिया संख्या 2 ता 4 के नाम कृषि भूमि ख0न0 2318 / 3, 4310 / 4230, 4316 / 2318 कुल किता 3 कुल रकबा 1.004 है0 भूमि दर्ज करवा ली एवं वादी के नाम 4312 / 4230, 4315 / 4230, 4317 / 2318, 4321 / 4232 कुल किता 4 कुल रकबा 0.4404 है0 करवायी है व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 9 के नाम 4311 / 4230, 4314 / 4230, 4318 / 2318, 4323 / 4232 कुल किता 4 कुल रकबा 0.43[illegible] है0 दर्ज करवायी है एवं भूमि ख0न0

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.19 11:59:06 IST
Reason: SelfAttested

10/04/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

1793 गै0मु0 ढाणी 1794 कुआ, 2317, 4320/4232 कुल किता 4 कुल रकबा 0.1350 हैक्टर की खातेदारी पक्षकारान के नाम शामलाती रखी गयी है। इस प्रकार वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या–9 के नाम हक हिस्सा खातेदारी से कम रकबा भूमि की खातेदारी दर्ज करवायी है एवं मौके के कब्जा काश्त के विपरीत खातेदारी गलत दर्ज करवायी है एंव भूमियों में आवागमन का रास्ता भी दर्ज नहीं करवाया गया है। इसलिए प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा करवाये गये तथाकथित मनमर्जी के बंटवारा एवं उसकी आड में गलत तरीके से भू–अभिलेख में दर्ज करवायी गयी खातेदारी वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या–9 के हको के प्रति कतई प्रभावहीन, बेअसर व शुन्य है। इसलिए वादी कृषि भूमियों का मौके के कब्जा काश्त एवं हक हिस्सा खातेदारी अनुसार विधिक तकास्मा करवाने का अधिकारी है एवं प्रतिवादी संख्या–1 ता 4 को वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 9 की हक हिस्सा खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि में मजाहमत करने एवं बेदखल करने एवं दिगर को विक्रय रहन अन्तरण करने को कोई अधिकार किसी किस्म का नहीं है। इसलिए वादी ने न्यायालय मे वादपत्र वास्तविक तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। इसलिए प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होकर खारिज होने योग्य है। उक्त वर्णित तथाकथित विक्रय लेख से दिनांक 22.7.2022 बिना कब्जा एवं बिना अधिकार के नुमाईशी करवाया गया हैं। जिसके आधार पर प्रतिवादी संख्या 10 व 11 को कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है तथा कथित विक्रय लेख नुमाईशी होकर वादी व तरतीबी प्रतिवादी के हितो के प्रति प्रारम्भ से ही शुन्य व प्रभावहीन व बेअसर है। इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य हैं। प्रार्थना पत्र प्रतिवादी संख्या–10 व 11 द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर गलत रूप से प्रस्तुत किया गया है एवं प्रार्थना पत्र में एक भी ऐसा कोई विधि सम्मत तथ्य अंकित नहीं किया है कि दावा हाजा का माननीय न्यायालय को किस प्रकार से श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार नहीं है। इसलिए प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टवा ही पोषणीय नहीं होकर खारिज होने योग्य है तथा यंहां यह भी उल्लेखनीय है कि [illegible] अभी विवाधक बिन्दु कायम होकर उनका निस्तारण हो[illegible] पत्र चलने योग्य नहीं होकर खारिज होने योग्य है। अत[illegible] प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.19 11:59:06 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

11 सीपीसी को खारिज किए जाने का निवेदन वकील वादी/अप्रार्थी ने अपनी बहस में किया है।

हमने बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् ध्यानपूर्वक सुनी। बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड व दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रकरण में वकील प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 10 व 11 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में मुख्य रूप से वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 ने आपस मे साजिशी तौर पर विकित भूमि से प्रतिवादी संख्या 10 व 11 से अधिक राशि हड़पने के उद्देश्य से विधिक बंटवारा के पूर्व की जमाबन्दी पेश कर न्यायालय को मुगालता देकर स्थगन प्राप्त करने व भूमि खसरा नम्बर 4310/4230 व 4316/2318 से वादी का कोई संम्बन्ध किसी किस्म का नहीं होने एंव वाद कारण उत्पन्न नहीं होने से वादपत्र को इसी स्तर पर खारिज किए जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जाना प्रकट होता है। वादपत्र में अंकित वादग्रस्त भूमियों में से भूमि खसरा नम्बर 4310/4230, 4316/2318 व 2318/3 का विक्रय लेख इनके खातेदारान् कमली देवी, गीता देवी व संजूदेवी जो वादपत्र में प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 4 है के द्वारा प्रतिवादी संख्या 10, 11 व 12 के पक्ष में किया जाना प्रकट होता है। उक्त भूमियों का विधिक विभाजन दिनांक 11.07.2022 को करवाये जाने के उपरान्त क्रमशः दिनांक 22.07.2022 व 25.07.2022 को उक्त भूमियों का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेखों के माध्यम से किया जाना प्रकट होता है। प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 4 वादी की सगी बहिने होना रिकार्ड से प्रमाणित [illegible]। वादपत्र में अंकित वादग्रस्त भूमियों का पक्षकारान् के मध्य दिनांक 11.07.2022 को विधिक विभाजन होकर खातेदारी पक्षकारान् के नाम पृथक पृथक दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.19 11:59:06 IST
Reason: SelfAttested

10/04/23

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में स्पष्ट वर्णित है कि— वादपत्र का नामंजूर किया जाना— वादपत्र निम्नलिखित दशाओं में नामंजूर कर दिया जाएगा—

क. जहाँ वह वाद हेतुक प्रकट नहीं करता है।

ख. जहाँ दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूंल्याकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है।

ग. जहाँ दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वादपत्र पर्याप्त स्टाम्प पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है।

घ. जहाँ वादपत्र में के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।

ड. जहाँ वह डुप्लीकेट फाईल नहीं किया गया है।

च. जहाँ वादी 9 नियम की अनुपालना करने में असमर्थ रहा है।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र दावा बाबत घोषणा, तकास्मा एंव स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया गया है। जिसमें वादी द्वारा वादपत्र में अंकित अनुतोष के अनुसार वादग्रस्त आराजी भूमियों में किसी प्रकार की उद्घोषणा नहीं चाही जाना तथा केवल मा[illegible] व स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा जाना प्रकट [illegible] प्रस्तुत वादपत्र में अंकित वादग्रस्त आराजी भूमियों का पक्षकारान् [illegible]दी व प्रतिवादीगण के मध्य विधिक विभाजन दिनांक 11.07.2022 को होकर खातेदारी हक हिस्सेनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.19 11:59:06 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
[illegible] (सीकर)

पृथक–पृथक दर्ज रिकार्ड जमाबन्दी में जरिये स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 2692 दिनांक 11.07.2022 विभाजन सम्बन्धी अंकन होना प्रकट होता है। वादग्रस्त भूमियों में से भूमि खसरा नम्बरान् 4310/4230, 4316/2318 एंव 2318/3 का विक्रय लेख इनके खातेदारान् कमली देवी, गीता देवी व संजूदेवी पुत्रीयाँ देवीसहाय जाति कुमावत के द्वारा जो वादपत्र में पक्षकारान् प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 4 है के द्वारा प्रतिवादी संख्या 10, 11 व 12 के पक्ष में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख किया जाना प्रकट होता है। जिससे यह भी स्पष्ट नहीं होता है कि वादी/अप्रार्थी को प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के विरूद्ध किस प्रकार वाद कारण उत्पन्न हुआ है।

अतः ऐसी स्थिति में वादी द्वारा अपने वादपत्र में किसी प्रकार की उद्घोषणा बाबत अनुतोष नहीं चाहा गया है तथा वादग्रस्त आराजी भूमियों का पत्रावली के संलग्न विभिन्न जमाबन्दियों से उक्त भूमियों का पृथक–पृथक विधिक विभाजन होकर खातेदारी पृथक–पृथक वादी व प्रतिवादीगण पक्षकारान् के नाम राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में दर्ज रिकार्ड होने से एंव प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के विरूद्ध किसी प्रकार का वादकारण प्रकट होना स्पष्ट नहीं होता है। वादी एंव प्रतिवादीगण के मध्य आपसी सहमति से विधिक बंटवारा तहसीलदार के समक्ष सम्पन्न हुआ है। यदि इससे असंतुष्ट है तो सक्षम न्यायालय से अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है। तहसीलदार अतः ऐसी स्थिति में वकील प्रतिवादी/प्रार्थीगण द्वारा पेश अर्जी अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी को स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.19 11:59:06 IST
Reason: SelfAttested

10/6/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
सीकर (सीकर)

::–कियात्मक आदेश–::

अतः वकील प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी का स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी को स्वीकार किया जाता है तथा मूल वाद पत्र संख्या 97/2022 उनवानी सुवालाल बनाम रामस्वरूप वगै0 दावा व मुकदमा संख्या 63/2022 प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति मूल पत्रावली में शामिल की जावें।

10/04/23
(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 10.04.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/04/23
(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.19 11:09:06 IST
Reason: SelfAttested